न्यायालय विशेष न्यायधीश, 'पॉक्सो अधिनियम'/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13, कानपुर नगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2239/2026

CNR No–UPKN010065582026

1. वंदना गुप्ता उम्र लगभग 50 वर्ष, पत्नी राजकुमार गुप्ता, निवासिनी ई०डब्लू०एस०–1, बर्रा–4, कानपुर नगर।

.....प्रार्थिना/अभियुक्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, कानपुर नगर।

.....विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–164/2026
धारा–351(3) बी०एन०एस०
व 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम
थाना–बर्रा, जिला–कानपुर नगर।

23.06.2026

प्रार्थिना/अभियुक्ता वंदना गुप्ता की ओर से उपरोक्त मुकदमे में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्ता के पति राजकुमार गुप्ता की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक एफ.आई.आर. के अनुसार इस प्रकार है कि,"प्रार्थिनी प्रीती पत्नी प्रिंस निवासी रुरा जनपद कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। मै तथा मेरी दोस्त तन्नू उर्फ साक्षी पत्नी विकास निवासी अनवरगंज स्टेशन के पास की रहने वाली है। हम दोनों घरो में साफ सफाई व रोटी बनाने का काम करते थे, कुछ दिन पहले काम की तलाश में हमारी मुलाकात वंदना गुप्ता पत्नी राजकुमार व उसके लड़के आदित्य निवासी ईडब्लूएस 01 बर्रा 4 कानपुर नगर से हुयी थी। जिन्होने हम लोगो को बहला फुसला कर अपने घर पर बुलाया था तथा हमारे रहने खाने का प्रबंध किया जिस पर हम लोग इनके विश्वास में आ गये थे। आदित्य ने हम लोगो को काम दिलाने का झांसा देकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये और अन्य लोगो से भी शारीरिक सम्बन्ध बनाने को कहा जिसका हम लोगो द्वारा विरोध किया गया तो आदित्य व उसकी मां के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गी। जिस कारण हम आदित्य के द्वारा बताये लोगो के साथ सम्बन्ध बनाने लगे थे और आदित्य प्रतिदिन के हिसाब से कुछ पैसा भी देने लगा था, धीरे धीरे हम लोगो को समझ आया कि आदित्य देह व्यापार का धन्धा करता है और कई लड़कियों की जिन्दगी बर्बाद कर चुका है। मैं किसी तरह उसके पास से निकल आयी हूँ। आदित्य व उसकी मां के द्वारा मुझे जान से मरवा देने की

धमकी दे रहा है जिस कारण प्रार्थिनी डरी सहमी हुयी है। आदित्य आपराधिक किस्म का व्यक्ति है वह कई मजबूर लड़कियों की जिन्दगी बर्बाद कर चुका है और अभी भी उसके घर में कई लड़कियां फंसी हुई है और मजबूरी वश देह व्यापार का धंधा कर रही है।"

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि गलत व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथित घटना पूर्णतया मनगढ़न्त है व वादिनी मुकदमा एवं उसकी मित्र तन्नू उर्फ साक्षी की मुलाकात प्रार्थिनी/अभियुक्ता से किस तारीख पर, कितने बजे व कहां पर हुई है, उक्त महत्वपूर्ण विधिक तथ्य तथा अंकन प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी मुकदमा द्वारा अंकित नहीं किया गया है, जिस कारण अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण कथानक बनावटी प्रतीत होता है। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता के घर पर रहने व खाने का कथन पूर्णतया गलत है तथा वादिनी मुकदमा व उसकी मित्र तन्नू उर्फ साक्षी कितने माह या कितने दिन तक प्रार्थिनी/अभियुक्ता के घर पर निवास किया, उक्त महत्वपूर्ण विधिक तथ्य का अंकन व वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। सह अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके मित्र तन्नू उर्फ साक्षी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का कथन बिना किसी विधिक साक्ष्य के अंकित किया गया है व सम्पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी मुकदमा द्वारा स्वंय व उसकी परिचित तन्नू उर्फ साक्षी को जबरदस्ती बन्धक बानाने का कथन कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। इससे यह सुस्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है। सहअभियुक्त व प्रार्थिनी/अभियुक्ता वादिनी मुकदमा एवं उसकी मित्र को प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथित घटना के सन्दर्भ में कुछ पैसा दिये जाने की भी बात गलत तथ्यों पर अंकित की गई है व यदि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके परिचित से जबरदस्ती गलत काम कराया जा रहा था तो वादिनी मुकदमा व उसकी मित्र द्वारा उक्त गलत कार्य का विरोध क्यों नहीं कारित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित घटना स्थल भीड़–भाड़ व घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यदि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा वादिनी मुकदमा व उसकी परिचित से जबरदस्ती गलत कार्य कराया जा रहा था तो वादिनी मुकदमा व उसकी परिचित द्वारा किसी मोहल्लेवासी को अथवा किसी अन्य स्वतंत्र गवाह को घटना के सन्दर्भ में सूचित क्यों नहीं किया गया। प्रार्थिनी/अभियुक्ता की दौरान गिरफ्तारी थाना हाजा की पुलिस के द्वारा किसी आपत्तिजनक सामग्री या वस्तु की बरामदगी प्रार्थिनी/अभियुक्ता के घर से कारित नहीं की गई है व आपत्तिजनक सामग्री व वस्तु की बरामदगी के आभाव में अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण कथानक बनावटी प्रतीत होता है तथा वादिनी मुकदमा का कोई

अश्लील वीडियो भी बनाने का कथन अंकित नहीं किया गया है व मात्र जान से मारने की धमकी का ही कथन अंकित किया गया है। वादिनी मुकदमा व उसकी परिचित तन्नू उर्फ साक्षी के बयानों में पूर्णतया विरोधाभास है व वादिनी मुकदमा तथा उसकी परिचित के चिकित्सीय परीक्षण में भी कोई आंतरिक चोट व शरीर के किसी भी अन्य भाग में चोट आना नहीं पाया गया है जिस कारण वादिनी मुकदमा द्वारा जबरदस्ती गलत काम किये जाने का कथन पूर्णतया बनावटी प्रतीत होता है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के घर पर कोई संदिग्ध व्यक्ति व महिला न मिलने के कारण बिना किसी विधिक साक्ष्य की अनुपस्थित में मात्र धारा 180 बी०एन०एस०एस० व धारा 183 बी०एन०एस०एस० के बयान के आधार पर धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अपराध कारित किये जाने का कथन बिना किसी विधिक साक्ष्य के प्रथम सूचना रिपोर्ट में अधिरोपित किया जाना प्रतीत होता है व धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित कोई अपराध प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा कारित नहीं किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता की गिरफ्तारी दिनांक 13.05.2026 पर रात्रि लगभग 11:00 बजे हो गयी थी किन्तु थाना हाजा की पुलिस के द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता की गिरफ्तारी मेमो में दिनांक 14.05.2026 पर सुबह लगभग 7:20 मिनट अंकित की गयी है जिस कारण प्रार्थिनी/अभियुक्ता का रिमान्ड अविधिक तथ्यों पर रिमान्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता की गिरफ्तारी के पश्चात् गिरफ्तारी मेमो के पैरा नम्बर–9 पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पति राजकुमार गुप्ता के मोबाईल नम्बर पर सूचना दिये जाने का कथन अंकित किया गया है परन्तु प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पति मोबाईल पर दिनांक 14.05.2026 पर थाना हाजा की पुलिस के किसी भी पुलिस अधिकारी या पुलिसजन का फोन कॉल नहीं आया। वादिनी मुकदमा व उसकी परिचित निश्चित ही मोबाईल संचालित करती होगी परन्तु मोबाईल संचालित करने के पश्चात् भी वादिनी मुकदमा व उसकी परिचित द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथित घटना कारित होने के पश्चात पुलिस व अन्य किसी सक्षम अधिकारी को क्यों नहीं सूचित किया गया और पुलिस द्वारा वादिनी मुकदमा व उसकी परिचित की घटना स्थल पर लोकेशन क्यों नहीं निकलवाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथित घटना की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में जनता के किसी गवाह या स्वतंत्र गवाह को नामित नहीं किया गया है, जबकि कथित घटना स्थल भीड़–भाड़ व घनी आबादी वाला क्षेत्र है। वादिनी मुकदमा व उसकी परिचित द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता के घर पर आने जाने के दौरान घर से अपने परिवारजन की बीमारी बताकर 50,000/– रू० उधार प्रार्थिनी/अभियुक्ता व उसके परिवारजन को विश्वास में लेकर प्राप्त कर लिया गया और तय समय सीमा पर उक्त धनराशि वापस न करने पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा जब वादिनी

मुकदमा व उसकी परिचित से उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवही किये जाने की बात कही जाने लगी तब वादिनी मुकदमा व उसकी परिचित ने साजिश रचकर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर अनैतिक दबाव बनाने की नियत से अंकित करा दी। थाना हाजा की पुलिस द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता को अवैध हिरासत में रखा गया और वादिनी मुकदमा से साठ–गांठ कर प्रार्थिनी/अभियुक्ता को गलत तथ्यों पर उक्त मुकदमें में निरूद्ध कर दिया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो न्यायालय द्वारा खारिज किया गया और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, न तो वह किसी मामले में पूर्व सजायाफ्ता है, और न ही अन्य कोई मामला विचाराधीन है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता की जमानत सी०जे०एम० महोदय कानपुर नगर द्वारा दिनांक 15.05.2026 खारिज की जा चुकी है। उक्त तथ्यों एवं कारणों के आधार पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त अपराध को कारित किया गया है जिसके पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी में उपलब्ध हैं। यदि प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत दी जाती है तो वह जमानत पाने पर जमानत शर्तों का उल्लंघन करेगा तथा पुनः अपराध कारित करेगा। तदनुसार जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) के तर्कों को सुना तथा संपूर्ण केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्ता पर पीड़िताओं को रोजगार दिलाने का बहाना करके सह–अभियुक्तों के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनवाने तथा पीड़िताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें धमकाकर जबरदस्ती देह व्यापार करवाने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। केस डायरी के परिशीलन से प्रकट होता है कि वादिनी मुकदमा व पीड़िताओं ने अपने बयान अंतर्गत धारा–180 एवं 183 बी०एन०एस०एस० में अभियुक्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का समर्थन किया है। पीड़िता तन्नू उर्फ साक्षी ने बयान अंतर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि,"मैं और मेरी फ्रेंड प्रीती खाना बनाने और झाड़ू पोछा का काम ढूँढ रहे थे तो गली में वन्दना खड़ी मिली वो कहने लगी उन्होंने कहा कि हमारे घर में काम है। दूसरे दिन उन्होंने हमें अपने घर बुलाया और राशन दिया फिर आंटी बाहर चली गई और उनके बेटे ने जबरदस्ती हम दोनों के साथ कई बार शारीरिक

सम्बन्ध बनाये फिर उनके बेटे ने कहा कि तुम और लोगों के साथ भी शारीरिक सम्बन्ध बनाओगी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। दोनों माँ बेटे ने हमें व हमारे पति को जान से मारने की धमकी दी तब हम डर गये तो उनके द्वारा हमसे अन्य लोगों के साथ भी जबरदस्ती सम्बन्ध बनवाये।" इसी तरह के कथम पीड़िता प्रीति द्वारा भी अपने बयान में किया गया है। पीड़िता तन्नू उर्फ साक्षी द्वारा 183 बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि,"मैं झाडू पोछा बर्तन करती हूँ। मैं और मेरी फ्रेन्ड प्रीति थी हम लोग काम ढूंढ़ रहा रहे थे। वहां पर वंदना नामक एक आंटी खड़ी थी। मैने उनसे पूछा कि झाडू पोछा का काम मिल जायेगा। तो उन्होने कहा कि अंदर आओ। मैं और मेरी दोस्त उनके घर गये और चाय पिलाया। उन्होने इनका बेटा ऊपर से आया और ये हमारे काम के लिए ठीक है। हम दूसरे दिन गये उन्होने मुझे राशन दिया। वो कही बाहर चली गयी उनके बेटे ने मेरी दोस्त को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। मेरे साथ रेप किया बाद में बोला कि किसी को कहोगी तो जान से मार देगे। मेरे साथ कई बार सम्बन्ध बनाया। दूसरे लोगो के साथ भी सम्बन्ध बनवाये। दो सौ रूपये देते थे।" अभियुक्ता पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रकति के हैं। प्रकरण में विवेचना अभी प्रारम्भिक स्तर पर है व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण में अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या सक्रिय संलिप्तता आदि तथ्यों को देखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई और अधिक टिप्पणी किये बिना, अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता वन्दना गुप्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2239/2026 निरस्त किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी
विशेष न्यायाधीश 'पॉक्सो एक्ट'/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–13
कानपुर नगर।

Digitally signed by Pawan Kumar Rai
Date: 2026.06.23 19:36:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court